न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—174/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/174

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
1 पाबुराम पुत्र श्री तेजाराम, जाति जाट, उम्र वर्ष, निवासी सुराचंद, तहसील चितलवाना, जिला सांचोर।		1. तहसीलदार (भूमिधारी) चितलवाना, जिला सांचोर। 2. आदूराम पुत्र मंशा, जाति जाट, निवासी पनौरिया, तहसील चौहटन जिला बाडमेर। 3. खेताराम पुत्र मंशा, जाति जाट, निवासी पनोरिया, तहसील चौहटन जिला बाडमेर।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम बखिलाफ आदेश दिनांक 09.11.2020 उपखण्ड अधिकारी चितलवाना, जिला पूर्व जालोर वर्तमान सांचौर, राजस्व विविध संख्या 29/2014 बअनवान पाबुराम बनाम तहसीलदार

उपस्थिति :—
1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांक:— 24.12.2024

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के आदेश 29/2014 दिनांक 09.11.2020 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे है।

3. बहस वकील अपीलांट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि —

आदेश जैर अपील विधि, तथ्य व रेकर्ड के विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 325 रकबा 15 बीघा भूमि जो 2.43 हैक्टेयर की भूमि होती है, जिसको पंजीयन बेचाण द्वारा खरीद की गई, तत्पश्चात् अपीलाण्ट का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा अपीलाण्ट रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर पर अपीलाण्ट 15 बीघा भूमि पर काबिज कर काश्त कर रहा है, परन्तु द्वितीय सेटलमेन्ट के बाद कर्मचारी द्वारा अपीलाण्ट की भूमि का रकबा 2.10 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट की कृषि भूमि का रकबा 2.43 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिये था, उक्त त्रुटि सद्भाविक त्रुटि है. इस कारण से इसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है व उक्त त्रुटि सेटलमेन्ट के बाद नये खसरा संख्या 1097 में की गई है। इस कारण से अधिनस्थ न्यायालय को द्वितीय सेटलमेन्ट के बाद जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटि की गई है, यह दुरूस्त होने योग्य थी, जिसे दुरूस्त नहीं कर कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह बताया गया कि अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 1097 के पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 1098 है, इसके खातेदार खेताराम व आदूराम व पिता मंशा है. इनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय को यदि निर्णय के लिए उक्त व्यक्ति आवश्यक पक्षकार मुकदमा होना मानती तो स्वतः ही उक्त व्यक्तियों को सोमोटो पक्षकार बना सकती थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सोमोटो पक्षकार नही बनाकर जो आवेदन खारिज किया गया है. यह विधिनुसार नही है। अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 उक्त व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है। पक्षकार के कुसंयोजन के आधार पर उक्त आवेदन खारिज करने का कानूनी अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नही था, न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाने हेतु अपीलाण्ट को निर्देश ही दिये गये, जब निर्देश ही नही दिये गये तथा सोमोटो पक्षकार नही बनाया गया तो आदेश जैर अपील विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.07.2015 को हल्का पटवारी द्वारा व आर.आई. द्वारा मौका फर्द तैयार की गई तथा इस फर्द के अनुसार अपीलाण्ट के पास जमाबन्दी के अनुसार व नक्शे के अनुसार भूमि कम होना स्पष्ट दर्शित है तथा उक्त कम भूमि 0.33 हैक्टेयर है तथा माफिक नक्शे के भूमि अपीलाण्ट की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार मार्क ए बी सी डी होनी चाहिये, परन्तु जो भूमि कम है वह भूमि मौका फर्द के नक्शे में मार्क सी.डी. के पश्चिम की तरफ दर्शायी गई है, इस कारण अधिनस्थ न्यायालय को अधिकार अभिलेख जमाबन्दी व नक्शे को दुरूस्त कर अपीलाण्ट का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिये था, परन्तु आवेदन अस्वीकार कर भारी कानूनी व विधिक भूल की है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु रिबटल के कोई साक्ष्य नहीं थे, इस कारण आवेदन स्वीकार होने योग्य था तथा मौके पर अपीलाण्ट अपनी 15 बीघा यानि की 2.43 हैक्टेयर की भूमि पर काबिज है तथा खसरा नम्बर 1098 के खातेदार भी अपनी

24/12/2024

अतिरिक्त संभागीय आ..
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कृषि भूमि पर काबिज है तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इस कारण से जो आदेश पारित किया गया है, यह विधिनुसार नहीं है।

आदेशिका में निर्णय दिनांक 09.11.2020 को सुनाया जाना बताया है, परन्तु निर्णय को देखने मात्र से दिनांक 09.11.2020 को निर्णय लिखाया जाकर सुनाया जाना दर्शित नही है। निर्णय के प्रथम पेज पर तथा निर्णय के अंतिम पेज पर तारीख अंकित नहीं है, इसलिये इस दिन निर्णय सुनाये जाने की स्थिति भी निर्णय के अनुसार नही है, यहां यह बताना आवश्यक है कि कोरोना महामारी से तालाबन्दी थी तथा न्यायालय में अधिवक्ताओं की उपस्थिति नही थी तो बहस होने व निर्णय पारित होने की स्थिति होना भी खिलाफ कानून है। इस कारण से पारित आदेश विधि एवं तथ्य की भूल है तथा हल्का पटवारी सूराचंद द्वारा जो मौका फर्द तैयार की गई. इसके अनुसार जब भूमि अपीलाण्ट की कम है तो तकनीकी आधार पर अपीलाण्ट दुरूस्ती का अधिकार खारिज करने का अधिकार नहीं था व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है यह विधि एवं तथ्य की भूल है।

अपीलाण्ट द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती हेतु एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के यहां पेश कर निवेदन किया कि पुराने खसरा नम्बर 325 रकबा 15 बीघा जो हैक्टेयर में 2.43 हैक्टेयर होता है, कि भूमि पंजीयन बेचाण से पुनमा पुत्र गंगा, जाति जाट से दिनांक 18.09.1995 को खरीद की गई, तत्पश्चात् इस कृषि भूमि में अपीलाण्ट का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा इसके बाद द्वितीय सेटलमेन्ट होने पर अपीलाण्ट की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1097 कायम किये गये तथा जमाबन्दी तथा नक्शा भी सेटलमेन्ट द्वारा कायम किया गया, परन्तु नया खसरा नम्बर 1097 में अपीलाण्ट की कृषि भूमि का रकबा जमाबन्दी में 2.10 हेक्टेयर दर्ज कर दिया गया तथा नक्शे में भी बदलाव कर दिया गया, इसलिये दुरूस्ती अधिकार अभिलेख हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया तथा इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2015 को रिपोर्ट मंगवायी गई, इस रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट की कृषि भूमि 0.33 हैक्टेयर कम होना दर्शाया गया है। बाद सुनवाई के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 1098 के खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये गये प्रार्थी के आवेदन के विरुद्ध अपील पेश कर निवेदन है कि दिनांक 09.11.2020 को राजस्व विविध संख्या 29/2020 उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, इस आदेश को निरस्त फरमाया जावे तथा अधिकार अभिलेख जमाबन्दी व नक्शा दुरूस्त किया जावे तथा अपील स्वीकार फरमाया जावे।

6. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण में हल्का पटवारी सुराचंद की मौका फर्द दिनांक 03.07.2015 के द्वारा एवं राजस्व नक्शे अनुसार मिलान करने पर रकबा 0.33 हैक्टर खसरा नम्बर 1098

24/12/2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

का रकबा बताया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी वकील द्वारा खसरा नम्बर 1098 के खातेदारो को पक्षकार नही बनाकर प्रार्थना पत्र आपने निर्णय दिनांक 9.11.2020 के द्वारा खारीज कर दिया। गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट को इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के आदेश दिनांक 09.11.20203 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उभयपक्षो को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए विधिवत निर्णय पारित करे एवं अपीलांट को भी निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत समस्त प्रभावित पक्षकारों में प्रकरण में पक्षकार बनाने का संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner